

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)

सिग्नेचर बिल्डिंग, पंचम तल, टावर-1, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226010

पत्र संख्या:-लॉजि0-परिवहन-04/2025

दिनांक:लखनऊ-दिसम्बर 31, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर चयन वर्ष 2025 (01.07.2025 से 30.06.2026 तक) 20 रिक्तियों के सापेक्ष अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर 20 मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन को उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25.09.2025 को अनुमोदित किये जाने के पश्चात् दिनांक 01.01.2026 को होने वाली 03 रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन को उनके नियुक्ति स्थान पर ही दिनांक 01.01.2026 से उप निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

चयन क्र०	वर्ष क्र०	पीएनओ नं०	नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
16	20	922030286	प्रकाश नारायण मिश्रा	सूर्यनारायण मिश्रा	उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय, लखनऊ/ 03 एसएसएफ प्रयागराज	2025
17	21	980481240	संजीव कुमार सिंह	दिनेश कुमार सिंह	कमि० वाराणसी	2025
18	22	030450107	शेष नाथ सिंह यादव	हीरा प्रसाद यादव	36वीं पीएसी वाराणसी	2025

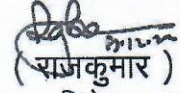
2- पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन से संलग्न पारूप-"क" में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड-2 में दी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन को उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि संबंधित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्म को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6- उक्त आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर [http:// uppolice.gov.in](http://uppolice.gov.in) में police units में Logistics - Circulars में अपलोड कर दिया गया है।
संलग्नक:स्व0 घोषणा पत्र


(राजकुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2- सेनानायक-03 वाहिनी एसएसएफ एट चतुर्थ पीएसी प्रयागराज।
- 3- सेनानायक 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, एसएसएफ मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)

पुत्र

निवासी

थाना

जनपद

वर्तमान में (जनपद/इकाई)

हैं कि-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स० धारा थाना जनपद में लम्बित है, जिसमें दिनांक: को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मैंने विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्ति स्थान-

दिनांक-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।